संख्या-173/2026/149/26-27-सिं0-4-155-डब्ल्यू-परि0-71टी0सी0

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 16 **मार्च**, **2026**

विषय: पंचनद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत Assessment of Wildlife Values and the Impact of Water submergence on the habitat of Gharial upstream from the Sadrapur proposed Barrage construction site across Yamuna River up to National Chambal Wildlife Sanctuary Uttar Pradesh हेतु एम0ओ0यू0 गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-530/अनि/अनिम-2/यू-5, दिनांक 27 नवम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद औरैया में यमुना नदी पर प्रस्तावित पंचनद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान (**WII**) देहरादून से "**Assesment of wildlife Values and the Impact of Water submergence on the habitat of Gharial upstream from the Sadrapur propsed Barrage Construction site across Yamuna River up to National Chambal wildlife Sanctuary Uttar Pradesh"** का अध्ययन कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वन्यजीव से 16 किलोमीटर दूर स्थित यमुना नदी पर प्रस्तावित सदरापुर बैराज के निर्माण के लिए वन्यजीव मूल्यों के आंकलन और जलमग्नता के प्रभाव के आंकलन हेतु 12 महीने की समयसीमा निर्धारित है।

2. भारतीय वन्यजीव संस्थान (**WII**) देहरादून के द्वारा **Schedules of time for each Activity** के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. भारतीय वन्यजीव संस्थान (**WII**) देहरादून द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 15 दिनों के अन्दर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा बिल का भुगतान किया जायेगा

4. भारत सरकार के नियमों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी।

5. यदि किसी वास्तविक कारण से कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाता है तो अधिकतम 3 महीने तक समय विस्तार दिया जा सकता है।

6. एम०ओ०यू० अवधि के दौरान यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान भारतीय वन्यजीव संस्थान (**WII**) देहरादून के डीन द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षरकर्ता, को दोनों पक्षों पर निर्णय मान्य और बाध्यकारी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वर्णित विषयान्तर्गत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (**WII, Dehradun**) के मध्य एक एम0ओ0यू0 विलेख का निष्पादन किया जाएगा।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-173/2026/149/26-27-सिं0-4-155-डब्ल्यू-परि0-71टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, कानपुर।
4. निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान (**WII**) चन्द्रबनी देहरादून, (उत्तराखण्ड), पिन-248001
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।